भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3583
उत्तर देने की तारीखः 17.12.2024

स्माइल योजना

3583. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्माइल योजना के आरंभ में अब तक इसके अंतर्गत विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल कितने लोगों का पुनर्वास किया गया है;

(ख) उक्त योजना के आरंभ में अब तक इसके अंतर्गत विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में वर्षवार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछडा वर्ग/निःशक्त व्यक्ति समुदायों के लोगों को पुनर्वासित किया गया है;

(ग) उक्त योजना के आरंभ से अब तक, इसके अंतर्गत विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में वर्षवार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने लोगों को शिक्षा और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया;

इसके अंतर्गत विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई;

(ङ) स्माइल योजना के आरंभ से अब तक इसके अंतर्गत विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में वर्षवार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने गरिमा गृह कार्यशील हैं;

(च) क्या वर्तमान में कार्यशील गरिमा गृहों की संख्या में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या स्माइल योजना के अंतर्गत कोई शहर पूर्णतः भिक्षुक मुक्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित व्यक्तियों को सहायता (स्माइल) योजना की दो उप-योजनाएं हैं - 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना' और 'भिक्षावृत्ति के कार्य में लिप्त व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र

क्षेत्र की योजना'। अभी तक, 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना' के तहत 1404 व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है।

"भिक्षावृत्ति के कार्य में लिप्त व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास" के लिए स्माइल की उप योजना के लिए दिशानिर्देश दिनांक 23.10.2023 को जारी किए गए थे। आज की तारीख तक आजीविका और कौशल संवर्धन के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से भिक्षावृत्ति के कार्य में लिप्त पाए गए 970 व्यक्तियों का 17 शहरों में पुनर्वास किया गया है।

स्माइल योजना के प्रारंभ से विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में इसके अंतर्गत पुनर्वासित लोगों की कुल संख्या का वर्ष-वार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग): ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण वर्ष 2024-25 से शुरू किया गया है और 725 व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। आंध्र प्रदेश सहित इनका वर्ष-वार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है। स्माइल-भिक्षावृत्ति घटक के अंतर्गत शिक्षा और कौशल विकास प्रशिक्षण संबंधी आंकड़े केन्द्रीय रूप से संकलित नहीं किए जाते हैं।

(घ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्माइल स्कीम के अंतर्गत जारी निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ङ) और (च): वर्तमान में स्माइल योजना के तहत 18 गरिमा गृह संचालित हैं। पिछले वर्ष से छह में गरिमा गृह जोड़े गए हैं। गरिमा गृहों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

(छ): स्माइल योजना के तहत किसी भी शहर ने अपने आपको भिखारी मुक्त घोषित नहीं किया है।

दिनांक 17.12.2024 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3583 के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

विशेष रूप से आंध्र प्रदेश राज्य में "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना" नामक उप-योजना के तहत पुनर्वासित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य	वर्ष-वार			
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*
1.	बिहार	19	20	2	43
2.	महाराष्ट्र	131	63	60	72
3.	गुजरात	60	19	5	23
4.	छत्तीसगढ़	47	47	25	35
5	पश्चिम बंगाल	60	39	9	27
6.	तमिलनाडु	58	15	3	20
7.	ओडिशा	50	2	22*	25
8.	राजस्थान	27	06	23*	25
9.	दिल्ली	92	16	20	25
10.	आंध्र प्रदेश	-	-	-	25
11.	असम	-			25
12.	कर्नाटक	-			26
13.	पंजाब	-	-	-	25
14.	मध्य प्रदेश	-	-	-	7
15.	उत्तर प्रदेश	-	-	-	11
	कुल	**544**	**277**	**169**	**414**

डाटा का स्रोत - आंकड़े राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल के माध्यम से गरिमा गृह द्वारा दिए गए हैं।

*सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को आंकड़े गरिमा गृह द्वारा दिए गए हैं।

विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश राज्य में "भिक्षावृत्ति के कार्य में लिप्त व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास" नामक उप-योजना के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों सहित पुनर्वासित व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहर	पुनर्वासित व्यक्तियों की संख्या (पुरुष)	पुनर्वासित व्यक्तियों की संख्या (महिला)	पुनर्वासित बच्चों की संख्या	पुनर्वास किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या
1	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	114	18	25	157
2	असम	गुवाहाटी	6	4	50	60
3	असम	तेजपुर	10	5	28	43
4	अरुणाचल प्रदेश	नमसाई	12	5	30	47
5	गुजरात	गिरसोमनाथ	10	2	5	17
6	गुजरात	नर्मदा	70	24	0	94
7	गुजरात	पंचमहल	6	3	1	10
8	हिमाचल प्रदेश	शिमला	0	0	1	1
9	कर्नाटक	मैसूर	20	8	25	53
10	केरल	कोझीकोड	7	0	1	8
11	केरल	त्रिवेन्द्रम	12	6	12	30
12	मध्य प्रदेश	इंदौर	55	20	146	221
13	मध्य प्रदेश	उज्जैन	0	0	1	1
14	पंजाब	अमृतसर	0	0	7	7
15	पुडुचेरी	पांडिचेरी	0	0	0	0
16	राजस्थान	जैसलमेर	0	0	1	1
17	तमिलनाडु	मदुरै	124	76	20	220
		कुल	**446**	**171**	**353**	**970**

अनुबंध-II

दिनांक 17.12.2024 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3583 के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध

आंध्र प्रदेश राज्य सहित "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना" नामक उप-योजना के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कौशल विकास प्रशिक्षण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र**	**वर्ष-वार (लाभार्थियों की संख्या)**
		2024-25
1.	झारखंड	50
2.	नई दिल्ली	250
3.	महाराष्ट्र	125
4.	आंध्र प्रदेश	200
5.	मध्य प्रदेश	50
6.	उत्तर प्रदेश	50
	कुल	**725**

दिनांक 17.12.2024 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3583 के भाग (घ) में उल्लिखित अनुबंध

आंध्र प्रदेश राज्य सहित "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना" नामक उप-योजना के तहत जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	जारी निधियां (रूपए में)
1.	दिल्ली	63,12,373
2.	ओडिशा	57,93,572
3.	तमिलनाडु	38,93,815
4.	बिहार	58,80,300
5.	महाराष्ट्र	157,63,051
6.	छत्तीसगढ़	56,03,503
7.	गुजरात	54,04,463
8.	राजस्थान	59,27,509
9.	पश्चिम बंगाल	104,23,195
10.	आंध्र प्रदेश	5,02,000
11.	असम	5,02,000
12.	कर्नाटक	5,02,000
13.	पंजाब	5,02,000

"भिक्षावृत्ति के कार्य में लिप्त व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास" नामक उप-योजना के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश राज्य सहित अन्य राज्य को जारी निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला/नगर निगम	जारी की गई निधियां (लाख रुपये)	
			2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	17.60	2.00
2	असम	होजाई/दोबोका	--	9.00
		गोलाघाट	--	9.00
		गुवाहाटी	17.60	2.00
		तेजपुर	17.60	6.40
3	अरुणाचल प्रदेश	नमसाई	17.60	6.40
4	बिहार	पटना	--	9.00
5	चंडीगढ़ (यूटी)	चंडीगढ़	--	9.00
6	हरियाणा	सोनीपत	--	9.00
		पंचकुला	--	17.60
7	हिमाचल प्रदेश	शिमला	17.60	6.40
8	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	--	17.60
9	केरल	कोच्चि	--	9.00
		तिरुवनंतपुरम	17.60	6.40
		कोझीकोड	17.60	6.40
10	कर्नाटक	मैसूर	17.60	2.00
11	गुजरात	पावागढ़ महाकाली	17.60	6.40
		सोमनाथ	17.60	6.40
		केवड़िया	17.60	6.40
12	मणिपुर	बिष्णुपुर	--	9.00
13	महाराष्ट्र	नागपुर	--	9.00
14	मध्य प्रदेश	ओंकारेश्वर	--	17.60
		उज्जैन	17.60	--
		खजुराहो	--	17.60
		इंदौर	17.60	6.40
15	नागालैंड	दीमापुर	--	9.00
16	ओडिशा	कटक	--	17.60
17	पुडुचेरी	पुडुचेरी	17.60	--
18	पंजाब	अमृतसर	17.60	--
19	राजस्थान	जैसलमेर	17.60	--
		उदयपुर	--	17.60
20	तमिलनाडु	इरोड	--	9.00
		मदुरै	17.60	--
21	तेलंगाना	वारंगल	17.60	--
22	उत्तर प्रदेश	अयोध्या	17.60	--
		कुशीनगर	--	17.60

दिनांक 17.12.2024 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3583 के भाग (ङ) में उल्लिखित अनुबंध

आन्ध्र प्रदेश राज्य सहित "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना" नामक उप-योजना के अंतर्गत संचालित गरिमा गृह का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष-वार (गरिमा गृह की संख्या)		
		2022-23	2023-24	2024-25
1.	दिल्ली	1	1	1
2.	ओडिशा	1	1	1
3.	तमिलनाडु	1	1	1
4.	बिहार	1	1	1
5.	महाराष्ट्र	3	3	3
6.	छत्तीसगढ़	1	1	1
7.	गुजरात	1	1	1
8.	राजस्थान	1	1	1
9.	पश्चिम बंगाल	2	2	2
10.	आंध्र प्रदेश	-	-	1
11.	असम	-	-	1
12.	कर्नाटक	-	-	1
13.	पंजाब	-	-	1
14.	मध्य प्रदेश	-	-	1
15.	उत्तर प्रदेश	-	-	1
कुल		**12**	**12**	**18**

******